<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

(माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर न्यायमूर्ति)

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 568/2008</u>

<u>अपीलार्थी</u> : प्रेमलाल उर्फ घसिया वर्मा एवं अन्य

<u>बनाम</u>

<u>प्रत्यर्थी</u> : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय के उद्घोषणा हेतु दिनांक 19.10.2012 सूचीबद्ध करे।

सही/-

(प्रीतिंकर दिवाकर)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 568/2008

अपीलार्थी : प्रेमलाल उर्फ घसिया वर्मा एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

अपीलार्थियों की ओर से श्री दीपक जैन, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री एन. नाहा रॉय, लोक अभियोजक।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील

निर्णय

(19.10.2012)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह अपील दिनांक 16.06.2008 को पारित उस निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार, जिला रायपुर द्वारा सत्र कथन क्रमांक 18/2007 में पारित किया गया था। उक्त निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख तथा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए प्रत्येक को धारा 304-ख के अंतर्गत दस वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹1,000 का अर्थदण्ड और धारा 498-क के अंतर्गत तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹500 का अर्थदण्ड से व्यतिक्रम की शर्तों के साथ दण्डित किया गया है ।

2. वर्तमान प्रकरण में मृतका कुसुम, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 प्रेमलाल की पत्नी थी, जबकि अपीलार्थी क्रमांक-2 श्याम बाई, मृतका की सास है। घटना की तिथि 13.05.2007 है, जबकि मृतका का विवाह अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 के साथ 12.03.2007 को संपन्न हुआ था, अर्थात् घटना की तिथि से लगभग दो माह पूर्व। दिनांक 13.05.2007 को मृतका को 95% जलने की चोटें आईं और उसी के परिणामस्वरूप दिनांक 14.05.2007 को उसकी मृत्यु हो गई।

मर्ग सूचना डॉ. कल्पना तेम्बुर्णीकर के कथन के आधार पर दर्ज की गई, जिन्होंने वार्ड बॉय नकुल कोसले के माध्यम से पुलिस को इसकी सूचना दी। तत्पश्चात मृत्यु समीक्षा (प्र.पी-1) देने के बाद मर्ग पंचनामा (प्र.पी-2) तैयार किया गया तथा मर्ग जांच उपरांत दिनांक 22.06.2007 को एक अप्रदर्शांकित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। मृतका के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण शिव नारायण मांझी (अ.सा-10) द्वारा प्रदर्श पी-6 के माध्यम से किया गया। उनके अनुसार मृत्यु का कारण जलने से उत्पन्न जटिलताओं के परिणामस्वरूप हृदय एवं श्वसन क्रिया का विफल होना था।

अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात पुलिस द्वारा दिनांक 16.07.2007 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख/34 के अंतर्गत आरोप पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया।

3. अपने प्रकरण के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने 10 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त/अपीलार्थियों के कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए इस प्रकरण में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया । इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में रोमनाथ (ब.सा-1) का भी परीक्षण कराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों को सुनने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थियों को इस निर्णय के अनुच्छेद क्रमांक 1 में वर्णित अनुसार दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डित किया है।

5. अभियुक्त/अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत साक्षियों के कथनों को दर्ज करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। उनके अनुसार पुरुषोत्तम (अ.सा-1), पार्वती बाई (अ.सा-2), पवन कुमार (अ.सा-4), मोंगरा बाई (अ.सा-5) तथा कुमारी चमेली बाई (अ.सा-7) के कथन दिनांक 27.06.2007 को दर्ज किए गए, जबकि राजाराम (अ.सा-3) का कथन 16.07.2007 को दर्ज किया गया, और इस विलम्ब का अभियोजन पक्ष द्वारा समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि मृत्यु समीक्षा (प्र.पी -2) के समय मृतका की माता, पिता तथा दादा उपस्थित थे, परन्तु उन्होंने उस समय अभियुक्त/अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। इससे स्पष्ट होता है कि बाद में साक्षियों द्वारा दिए गए कथन केवल पश्चातवर्ती विचार हैं, जिनका उद्देश्य अभियुक्त/अपीलार्थियों

को इस प्रकरण में झूठा फँसाना है। अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका को किसी प्रकार की क्रूरता का सामना करना पड़ा था। अतः किसी भी प्रकार से अभियुक्त/अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-B के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं लोप हैं, विशेष रूप से पुरुषोत्तम (अ.सा-1), पार्वती बाई (अ.सा-2), राजाराम (अ.सा-3), पवन कुमार (अ.सा-4), मोंगरा बाई (अ.सा-5) तथा कुमारी चमेली बाई (अ.सा-7) के कथनों में। अतः अभियुक्त/अपीलार्थियों की दोषसिद्धि विधि के अनुरूप नहीं है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि पवन कुमार (अ.सा-4), जो मृतका का भाई है, तथा रोमनाथ (ब.सा-1) के कथनों के अनुसार मृतका ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि उससे एक भूल हो गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थियों को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि मृतका गाँव में रहना नहीं चाहती थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली, और दुर्भाग्यवश इस मामले में अभियुक्तों को फँसा दिया गया। कुमारी चमेली बाई (अ.सा-7) के कथन का उल्लेख करते हुए अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस साक्षी के अनुसार मृतका ने उसे 23.05.2007 को क्रूरता के संबंध में जानकारी दी थी, जबकि उक्त तिथि तक मृतका जीवित ही नहीं थी। इससे स्पष्ट होता है कि इस साक्षी ने असत्य कथन किया है। उन्होंने आगे कहा कि जब चमेली बाई (अ.सा-7) का कथन संदिग्ध हो जाता है, तब उसी प्रकार पार्वती बाई (अ.सा-2) तथा रेखा बाई बंजारे (अ.सा-6) के कथनों की विश्वसनीयता भी संदेहास्पद हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूँकि मृतका की मृत्यु विवाह के मात्र दो माह के भीतर हो गई, अतः यह भार अभियुक्त/अपीलार्थियों पर है कि वे यह सिद्ध करें कि वे दोषी नहीं हैं। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि सभी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतका को दहेज की मांग को लेकर क्रूरता का शिकार बनाया जाता था। चूँकि मृतका विवाह के पश्चात मात्र दो माह तक ही जीवित रही और इस अवधि में उसे निरंतर प्रताड़ित किया गया, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मृत्यु से ठीक पूर्व उसे दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न सहना पड़ा। जहाँ तक धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के

अंतर्गत साक्षियों के कथनों को दर्ज करने में विलम्ब का प्रश्न है, अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्येक मामले में यह विलम्ब घातक नहीं होता, विशेषकर वर्तमान प्रकरण में, क्योंकि अन्वेषण अधिकारी से यह प्रश्न नहीं किया गया कि साक्षियों के कथन दर्ज करने में विलम्ब क्यों हुआ। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि मर्ग पंचनामा का उद्देश्य साक्षियों के कथनों को संक्षेप में दर्ज करना या अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाना नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य कुछ भिन्न होता है, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में स्पष्ट किया गया है। वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता के अनुसार धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता की आवश्यकताओं का अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत पालन किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि दहेज मृत्यु जैसे मामलों में, जहाँ मृतका की मृत्यु विवाह के मात्र दो माह के भीतर हो जाती है, उस स्थिति में मृतका के माता-पिता आघात एवं मानसिक पीड़ा के कारण तत्काल अपने कथन देने की स्थिति में नहीं होते। अतः अभियुक्त/अपीलार्थी इस परिस्थिति का लाभ नहीं उठा सकते। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि यदि न्यायालय में दिए गए साक्षियों के कथनों की तुलना उनके केस डायरी में दर्ज कथनों से की जाए, तो पाए जाने वाले छोटे-मोटे विरोधाभास एवं लोपों में कोई विशेष महत्व नहीं रखतीं, क्योंकि समस्त साक्ष्यों के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मृतका को क्रूरता एवं उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि दहेज मृत्यु के मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी अनुमान स्थापित होता है, जब तक कि अभियुक्त स्वयं उसे खण्डित न कर दें।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

8. मृतका के पिता पुरुषोत्तम (अ.सा-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि उनकी पुत्री का विवाह घटना की तिथि से लगभग एक माह पूर्व अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 प्रेमलाल के साथ संपन्न हुआ था तथा उसे जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि विवाह के पश्चात वे 2-3 बार अपनी पुत्री के ससुराल गए थे, जहाँ मृतका ने उन्हें बताया था कि अभियुक्तगण दो पहिया वाहन की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते हैं। इस पर यह साक्षी उसे समझाता था कि

वह सुखपूर्वक रहे, क्योंकि उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार विवाह में सामग्री प्रदान की थी। इस साक्षी के अनुसार एक बार अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 प्रेमलाल ने उससे कहा था कि उसके गाँव में अक्सर लोग फाँसी लगाकर या जलकर मर जाते हैं। मृत्यु से लगभग दस दिन पूर्व मृतका उसके घर आई थी और उसने अपनी दादी को रोते हुए बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी उससे मोटरसाइकिल और धनराशि की मांग करते हैं। इस पर उसकी दादी ने उसे समझाया कि वे लोग गरीब हैं, अतः परिस्थिति के अनुसार रहकर अपना जीवन व्यतीत करे। इसके पश्चात उसे दूरभाष के माध्यम से अपनी पुत्री की गंभीर अवस्था तथा अस्पताल में भर्ती होने की सूचना प्राप्त हुई, परंतु यह नहीं बताया गया कि उसे जलने की चोटें आई हैं। यह सूचना मिलने पर उसके पिता (मृतका के दादा) उसे देखने अस्पताल गए और उन्होंने देखा कि मृतका को जलने की चोटें आई हैं। अपने पिता से यह जानकारी मिलने पर वह स्वयं भी अस्पताल पहुँचा, किंतु तब तक मृतका की मृत्यु हो चुकी थी। इस साक्षी के अनुसार चूँकि अभियुक्तगण को वाहन आदि नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने उसकी पुत्री को जलाकर उसकी हत्या कर दी। इस साक्षी ने मर्ग सूचना की नोटिस (प्र.पी-1) तथा मर्ग पंचनामा (प्र.पी-2) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि मृतका उसकी सबसे बड़ी पुत्री थी तथा उसने उसे बहुत प्रेम और स्नेह से पाला-पोसा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव सबसे पहले अभियुक्त/अपीलार्थियों की ओर से आया था। विवाह से पूर्व इस साक्षी ने अभियुक्त/अपीलार्थियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी और पाया कि यद्यपि वे आर्थिक रूप से गरीब हैं, किंतु स्वभाव से अच्छे लोग हैं। इसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 प्रेमलाल के पिता का देहांत कम आयु में हो जाने के कारण वह अपनी उच्च शिक्षा जारी नहीं रख सका तथा उसकी पुत्री (मृतका) अपने पति प्रेमलाल की अपेक्षा अधिक शिक्षित थी। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करने के पश्चात उसने अपनी पुत्री का विवाह अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 से तय किया था तथा उस समय अभियुक्तों की ओर से किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की गई थी। इसने यह भी कहा कि जिस कुर्मी समाज से वह संबंध रखता है, उसमें दहेज देना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनिवार्य नहीं है, किंतु यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से देना चाहे तो दे सकता है। इस साक्षी के अनुसार उसके परिवार तथा अभियुक्त/अपीलार्थियों के परिवार के जीवन स्तर में काफी अंतर था। उसने स्पष्ट किया कि उसका जीवन स्तर अभियुक्त/अपीलार्थियों की अपेक्षा बेहतर है तथा उसके घर में मृतका सुखपूर्वक रहती थी, परंतु अभियुक्त/अपीलार्थियों के घर में उसे अपने जीवन-शैली पर प्रतिबंध महसूस होता था। यह भी कहा गया कि अभियुक्तों के घर में गोबर तथा कचरा आदि होने के कारण मृतका को असुविधा एवं आपत्ति होती थी। वह इस साक्षी से कहती थी कि यदि उसके पति को नौकरी मिल जाए, तो वह रायपुर में रहना पसंद करेगी। प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया कि यदि मृतका रायपुर में रहने चली जाती, तो क्या यह घटना टल सकती थी। इस पर उसने उत्तर दिया कि यह सब केवल बहाना है, क्योंकि जो घटना घटनी थी, वह पहले ही घट चुकी है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि आग को अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-2 द्वारा बुझाया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराने का कार्य अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा ही किया गया था। उसने पुनः यह कहा कि घटना के पश्चात जब अभियुक्तों की ओर से उसे संदेश भेजा गया, तब यह जानकारी नहीं दी गई थी कि मृतका को जलने की चोटें आई हैं, बल्कि केवल यह बताया गया था कि वह बीमार है। जब वह अस्पताल पहुँचा, तब उसे ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री को जलने की चोटें आई हैं, जिससे वह क्रोधित तथा अत्यंत दुःखी हो गया। जब तक वह रायपुर पहुँचा, तब तक पोस्टमार्टम परीक्षण हो चुका था तथा नायब तहसीलदार द्वारा उसकी उपस्थिति में मर्ग पंचनामा तैयार किया जा चुका था। उसने आगे स्वीकार किया कि नायब तहसीलदार ने उससे यह पूछा था कि क्या घटना घटी है। तथापि उसने इस बात से इंकार किया कि उसने नायब तहसीलदार को यह बताया था कि उसकी पुत्री असंतुष्ट थी और इसी कारण वह जल गई, अथवा यह कि अभियुक्त/अपीलार्थियों एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसके साथ क्रूरता की जाती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने दहेज अथवा मोटरसाइकिल की मांग के संबंध में नायब तहसीलदार को कोई जानकारी नहीं दी थी। अपने साक्ष्य के अनुच्छेद 20 में उसने यह स्वीकार किया कि मर्ग पंचनामा के समय उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि अभियुक्तगण ने दहेज

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की मांग को लेकर मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया था, तथा अंतिम संस्कार के पश्चात वह अपने घर लौट गया था। उसने इस बात से इंकार किया कि गाँव के लोगों ने उसे अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा था, परंतु बाद में उसने यह कहा कि घर पर परामर्श करने के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। उसने यह भी कहा कि अपनी पुत्री की मृत्यु के कारण वह अभियुक्तों के प्रति अत्यंत क्रोधित था। उसने यह भी कहा कि अपनी पुत्री की मृत्यु के दो दिन पश्चात वह पुलिस थाना पलारी गया और पुलिस से मिला, परंतु वहाँ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और पुलिस ने उससे कहा कि वह लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उसने इस बात से इंकार किया कि उसने पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। इस साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया कि घटना के लगभग डेढ़ माह पश्चात पुलिस ने उसका कथन दर्ज किया था तथा उसने पुलिस को यह बताया था कि उसकी पुत्री को अभियुक्तों द्वारा जलाया गया था, परन्तु यदि पुलिस ने उसे अभिलेख में दर्ज नहीं किया, तो उसका कारण वह नहीं बता सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पार्वती बाई (अ.सा-2), जो मृतका की दादी हैं, ने अपने कथन में कहा है कि मृतका का विवाह अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 प्रेमलाल के साथ संपन्न हुआ था। मृतका उसे यह बताया करती थी कि वाहन न दिए जाने के कारण अभियुक्त/अपीलार्थी तथा उसका देवर उससे झगड़ा करते थे। मृतका के जलने की घटना से लगभग 8-10 दिन पूर्व, जब यह साक्षी उससे मिली थी, तब उसने बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी उससे मोटरसाइकिल तथा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हैं। अभियुक्त/अपीलार्थियों की ओर से दूरभाष द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतका की स्थिति गंभीर है, जिस पर उसके पति (मृतका के दादा) रायपुर स्थित अस्पताल गए थे और उन्होंने ही इस साक्षी को भी इसकी जानकारी दी थी। इस साक्षी ने कहा कि वह स्वयं अस्पताल नहीं गई थी। उसने यह भी कहा कि मोटरसाइकिल की मांग को लेकर अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा मृतका को जलाकर मार दिया गया हो सकता है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि जब मृतका बहुत छोटी थी, तब उसकी माता उसके पिता को छोड़कर चली गई थी और तब से वही मृतका की देखभाल कर रही थी। उसने इस बात से इंकार किया कि अत्यधिक

स्नेह एवं प्रेम के कारण मृतका जिद्दी हो गई थी, अथवा यह कि उसके पति (अपीलार्थी क्रमांक-1) द्वारा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। मृतका ने इस साक्षी से कहा था कि यदि उसके पति को रायपुर में नौकरी मिल जाए, तो यह बेहतर होगा। इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि मृतका के कहने पर उसका पति (अपीलार्थी क्रमांक-1) रायपुर में नौकरी की तलाश कर रहा था। हालांकि उसने यह भी कहा कि मृतका ने उसे बताया था कि उसका पति नौकरी की तलाश में रायपुर गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि यदि मृतका अपने पति के साथ रायपुर चली गई होती, तो संभवतः यह घटना टल सकती थी। इस साक्षी के अनुसार दूरभाष पर अभियुक्त/अपीलार्थियों ने केवल मृतका की गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी दी थी, परन्तु यह नहीं बताया था कि उसे जलने की चोटें आई हैं। इस साक्षी ने कहा कि जब उसका केस डायरी कथन (प्र.डी-2) दर्ज किया गया था, तब उसने पुलिस को यह बताया था कि घटना से लगभग 8-10 दिन पूर्व मृतका ने उसे बताया था कि अभियुक्तगण मोटरसाइकिल की मांग करते हैं, जिसके कारण उसके साथ झगड़ा होता था। यदि यह बात केस डायरी में अंकित नहीं है, तो उसका कारण वह नहीं बता सकती। मृतका की मृत्यु की जानकारी मिलने पर वह अत्यंत दुःखी तथा क्रोधित हो गई। अंतिम संस्कार संपन्न होने के पश्चात उसके पति, पुत्र तथा पुत्रवधू घर लौट आए और उसके बाद परिवार में विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अभियुक्तों को सबक सिखाया जाएगा। हालाँकि उसने इस बात से इंकार किया कि मृतका की मृत्यु के कारण अभियुक्त/अपीलार्थियों को झूठा फँसाया गया है, अथवा उन्होंने वाहन की कोई मांग नहीं की थी। उसने इस आरोप से भी इंकार किया कि अभियुक्त/अपीलार्थियों को फँसाने के उद्देश्य से वह झूठा कथन दे रही है। राजाराम (अ.सा-3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मृतका का विवाह घटना की तिथि से लगभग एक माह पूर्व अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 के साथ संपन्न हुआ था। उसके अनुसार उसे रोमनाथ (ब.सा-1) से दूरभाष द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतका बीमार है। इसके पश्चात वह रायपुर स्थित मेकाहारा अस्पताल गया, जहाँ मृतका को जलने की चोटें लगने के बाद भर्ती कराया गया था। उसने बताया कि मृतका ने उससे कहा था कि अभियुक्त/अपीलार्थी तथा उसका देवर इस घटना के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए उत्तरदायी हैं। अस्पताल में उसे ज्ञात हुआ कि मृतका को 97 प्रतिशत जलने की चोटें आई हैं। इसके बाद उसने मृतका के पिता को दूरभाष द्वारा सूचना दी, जो उस समय कहीं अन्य स्थान पर थे। जब तक वे वहाँ पहुँचे, तब तक मृतका की मृत्यु हो चुकी थी। इसके पश्चात उसे मर्ग सूचना की नोटिस (प्र.पी-1) दी गई और उसके बाद मर्ग पंचनामा (प्र.पी-2) तैयार किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर भी लिए गए। इस साक्षी ने कहा है कि जब मृतका उसके घर आई थी, तब उसने उसे बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी उससे वाहन की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हैं। इसने यह भी कहा कि उसे यह जानकारी नहीं है कि मृतका के जलने का वास्तविक कारण क्या था। इसके पश्चात उसने कहा कि उसे दहेज के कारण जलाया गया था। इस साक्षी के न्यायालयीन कथन की तुलना यदि उसके केस डायरी कथन (प्र.डी-3) से की जाए, तो उसमें कुछ विरोधाभास एवं लोप परिलक्षित होती हैं। इसने कहा कि मर्ग पंचनामा के समय उसने पुलिस तथा तहसीलदार को यह बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थियों ने मृतका को जला दिया है, किंतु यदि यह तथ्य अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है, तो उसका कारण वह नहीं बता सकता। इसने यह भी स्वीकार किया कि जिन अधिकारियों ने मर्ग पंचनामा तैयार किया, उनसे उसकी कोई दुश्मनी या शत्रुता नहीं थी। उसने इस आरोप से इंकार किया कि मृतका की मृत्यु के कारण उसके परिवार ने मिलकर अभियुक्तों को फँसाने का निर्णय लिया था। पवन कुमार (अ.सा-4), जो मृतका का भाई है तथा घटना के समय लगभग 10 वर्ष का बाल साक्षी था, ने अपने कथन में कहा कि वह अभियुक्त/अपीलार्थियों के घर गया था और उसने उन्हें मृतका को जलाते हुए देखा। उसने कहा कि उसने देखा कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-2 मृतका पर मिट्टी का तेल (केरोसिन) डाल रही थी और उस समय वह पानी उपलब्ध करा रहा था। उसने आगे कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-2 ने उसे वहाँ से दूर जाने के लिए कहा, जिसके बाद वह घर के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। इसके पश्चात उसकी बहन (मृतका) घर के अंदर से भागती हुई बाहर आई और तब उसकी सास ने उस पर पानी डाला। इसके बाद उसने अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 तथा एक टिकराम को वहाँ से भाग जाने के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कहा। तत्पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-2 ने मृतका को खाट (चारपाई) पर लिटाया और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। अपने साक्ष्य के अनुच्छेद 4 में इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी मृतका को ठीक प्रकार से रखते थे तथा अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 ही उसे अपने घर लेकर गया था।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि उसकी बहन कहा करती थी कि वह रायपुर में रहना चाहती है और एक बार अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 रोजगार की तलाश में रायपुर भी गया था। इस साक्षी ने कहा है कि जिस गाँव में अभियुक्त/अपीलार्थी रहते हैं वह एक छोटा गाँव है, और वहाँ मृतका स्वयं को सुविधाजनक महसूस नहीं करती थी। अपने साक्ष्य के अनुच्छेद 8 में उसने कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-2 ने पानी डालकर आग बुझाई थी। उसके अनुसार रोमनाथ वर्मा (ब.सा-1) ने उसकी बहन (मृतका) से पूछताछ की थी, जिस पर उसने कहा था कि उससे एक गलती हो गई थी। इस साक्षी ने कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 ने तुरंत मृतका को उपचार हेतु अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से बाद में उसे रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया। अपने साक्ष्य के अनुच्छेद 10 में उसने कहा कि जब उसका केस डायरी कथन दर्ज किया गया था, तब उसने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-2 ने मिट्टी का तेल डालकर उसकी बहन को जला दिया था और उस समय वह पानी उपलब्ध करा रहा था, तथा अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-2 ने उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहा था। अनुच्छेद 11 में उसने कहा कि उसे यह सिखाया गया था कि उसे किस प्रकार कथन देना है और उसी प्रकार उसने अपना कथन दिया।हालाँकि उसने इस बात से इंकार किया कि उसके पिता और दादा ने उसे यह सिखाया था कि उसे किस प्रकार बयान देना है। मोंगरा बाई (अ.सा-5), जो मृतका की सौतेली माता है, ने अपने कथन में कहा है कि घटना की तिथि से लगभग एक माह पूर्व मृतका का विवाह हुआ था और मृतका ने उसे बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी उससे वाहन की मांग तथा कम दहेज लाने के कारण प्रताड़ित करते थे। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि अत्यधिक स्नेह एवं प्रेम के कारण मृतका जिद्दी हो गई थी। उसने यह स्वीकार किया कि सामान्यतः ससुराल और मायके के जीवन स्तर में अंतर होता है तथा ससुराल में लड़की के लिए कई प्रकार की सीमाएँ और प्रतिबंध होते हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि मृतका की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद परिवार के सदस्य अत्यंत क्रोधित हो गए थे, किंतु उसने इस बात से इंकार किया कि आपसी विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था कि रिपोर्ट दर्ज कराकर अभियुक्त/अपीलार्थियों को गिरफ्तार कराया जाए। रेखा बाई बंजारे (अ.सा-6), जो मृतका की मित्र है, ने अपने कथन में कहा है कि वह मृतका को जानती थी,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जिसका विवाह ग्राम कुसमी में हुआ था। मृतका ने उसे बताया था कि वाहन की मांग को लेकर अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 उसे प्रताड़ित करता था। जब मृतका ने उसे यह बात बताई थी, उस समय उसकी दूसरी मित्र चमेली भी वहाँ उपस्थित थी।

चमेली (अ.सा-7), जो मृतका की एक अन्य मित्र है, ने कहा है कि जब मृतका अपने मायके आई थी, तब उसने बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी तथा उसका देवर वाहन की मांग कर रहे थे और यदि वाहन नहीं दिया गया तो मारपीट करने की धमकी भी देते थे। यह बात उसे घटना से लगभग 8-10 दिन पूर्व बताई गई थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि वह मृतका के पिता के साथ न्यायालय आई थी और मृतका के पिता ही उसे एक अधिवक्ता के पास लेकर गए थे। हालांकि उसने इस बात से इंकार किया कि उसने न्यायालय में वही कथन दिया है जो उस अधिवक्ता के साथ चर्चा कर तय किया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि मृतका खुले विचारों वाली तथा महत्वाकांक्षी स्वभाव की थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि विवाह के पश्चात किसी लड़की को अपने ससुराल में कुछ प्रतिबंधों का अनुभव होता है और वह वहाँ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि मृतका अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 से प्रेम करती थी, किंतु इस संबंध में उसने अनभिज्ञता व्यक्त की कि मृतका अपने पति के साथ रायपुर में रहना चाहती थी या नहीं। उसने इस बात से भी इंकार किया कि मृतका संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती थी। महेश कुमार यादव (अ.सा-8), जो प्रदर्श पी-3 के अंतर्गत कुछ वस्तुओं की जब्ती के साक्षी हैं, उन्होंने इस संबंध में कोई विशेष तथ्य नहीं बताया। संत कुमार वर्मा (अ.सा-9), प्रदर्श पी-5 के अंतर्गत की गई जब्ती के साक्षी हैं तथा प्रदर्श पी-4 (नक्शा) के भी साक्षी हैं। यद्यपि उन्होंने इन दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, तथापि उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। डॉ. शिव नारायण मांझी (अ.सा-10) वह साक्षी हैं जिन्होंने मृतका के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया तथा अपनी रिपोर्ट (प्र.पी-6) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने मृत्यु का कारण हृदय एवं श्वसन क्रिया का विफल होना बताया है। उन्होंने मृत्यु की प्रकृति के संबंध में कोई विशेष कथन नहीं किया है। रिखिराम सोनी (अ.सा-11), पटवारी हैं, जिन्होंने घटनास्थल का नक्शा (प्र.पी-7) तैयार किया। मदन दास (अ.सा-12), प्रदर्श पी -5 के अंतर्गत मिट्टी के तेल का डिब्बा जब्त किए जाने के साक्षी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हैं। यह साक्षी अभियुक्त/अपीलार्थियों की गिरफ्तारी संबंधी मेमो (प्र.पी-8 एवं प्र.पी-9) का भी साक्षी है तथा उसने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया है। डॉ. कल्पना (अ.सा-13) वह साक्षी हैं जिन्होंने प्रदर्श पी-10 के माध्यम से मृतका की मृत्यु के संबंध में पुलिस को सूचना दी। प्रणव सिंह (अ.सा-14), जो नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने प्रदर्श पी -1 के अंतर्गत सूचना देकर प्रदर्श पी-2 के अनुसार मर्ग पंचनामा तैयार किया। उन्होंने अपने कथन में कहा कि मर्ग पंचनामा के समय मृतका के परिजनों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह स्मरण नहीं है कि मृतका के परिजनों ने उन्हें यह बताया था कि दहेज की मांग के कारण मृतका की हत्या की गई है। उन्होंने आगे कहा कि यदि उन्हें इस प्रकार की कोई जानकारी दी गई होती, तो उसका उल्लेख प्रदर्श पी -2 में अवश्य किया गया होता। श्यामलाल कंवर (अ.सा-15) इस प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया है। अन्वेषण अधिकारी के कथन से यह प्रतीत होता है कि उनसे यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत साक्षियों के कथन दर्ज करने में विलम्ब क्यों हुआ। रोमनाथ (ब.सा-1) ने अपने कथन में कहा कि घटना के दिन जब वह बस स्टैंड के पास खड़ा था, तब उसने अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-2 को यह कहते हुए चिल्लाते सुना कि उसकी बहू जल गई है। इसके पश्चात वह अन्य लोगों के साथ वहाँ पानी डालने के लिए पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-1 पानी डालकर आग बुझा रहा था। मृतका को एक खाट (चारपाई) पर लिटाया गया और जब लोगों ने उससे पूछताछ की, तब उसने कहा कि उससे एक गलती हो गई थी। गाँव के लोगों द्वारा आगे यह पूछे जाने पर कि क्या कोई उसे प्रताड़ित करता था, उसने नकारात्मक उत्तर दिया। इसके पश्चात उसे अस्पताल ले जाया गया। अपने साक्ष्य के अनुच्छेद 7 में इस साक्षी ने कहा कि पुलिस जाँच के लिए गाँव आई थी और उसकी उपस्थिति में तथा कोटवार एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में एक आत्महत्या संबंधी पत्र जब्त किया गया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी लिए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि साक्षियों के केस डायरी कथनों को दर्ज करने में पर्याप्त विलम्ब हुआ है, विशेषकर पुरुषोत्तम (अ.सा-1), पार्वती बाई (अ.सा-2), राजाराम (अ.सा-3), पवन कुमार (अ.सा-4), मोंगरा बाई (अ.सा-5) तथा चमेली (अ.सा-7) के कथनों के संबंध में। सभी साक्षियों के कथनों से यह भी स्पष्ट होता है कि कुसुम बाई की मृत्यु के तुरंत बाद किसी भी साक्षी द्वारा मृतका के साथ की गई क्रूरता या दहेज की मांग के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया था। यद्यपि पुरुषोत्तम (अ.सा-1) ने दहेज की मांग एवं क्रूरता के संबंध में कुछ आरोप लगाए हैं, किंतु अपने साक्ष्य के अनुच्छेद 18 एवं 20 में उसने यह स्वीकार किया है कि जब तहसीलदार द्वारा मर्ग पंचनामा तैयार किया गया, उस समय उसने यह नहीं बताया था कि मृतका को अभियुक्तों द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया गया था, न ही उसने यह बताया था कि उनसे धनराशि अथवा मोटरसाइकिल की मांग की गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी उपस्थिति में मर्ग पंचनामा की समस्त कार्यवाही तथा मृतका के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि मर्ग पंचनामा के समय उसने पुलिस को भी यह नहीं बताया था कि अभियुक्तों द्वारा कोई मांग की गई थी या मृतका के साथ क्रूरता की गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि मृतका के अंतिम संस्कार के पश्चात वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने घर लौट गया था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि चूँकि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी, इसलिए सभी लोग अभियुक्तों के प्रति क्रोधित थे, और ऐसी स्थिति में क्रोधित होना स्वाभाविक था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसने पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी, किंतु अभिलेख पर ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इस साक्षी के कथन के अनुच्छेद 25 से यह प्रतीत होता है कि उसके न्यायालयीन कथन तथा केस डायरी कथन (प्र.डी-1) के बीच महत्वपूर्ण लोप एवं अंतर हैं। अतः इस साक्षी के साक्ष्य को समग्र रूप से देखने पर उसके द्वारा लगाए गए आरोप संदिग्ध प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार की स्थिति पार्वती बाई (अ.सा-2), जो मृतका की दादी हैं, के संबंध में भी है। उन्होंने अपने न्यायालयीन कथन के अनुच्छेद 12 में कहा है कि यद्यपि विवाह के लगभग 15 दिन बाद मृतका उनके घर आई थी, परंतु वह तीन दिन बाद पुनः अपने ससुराल लौट

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गई, और उसके बद वह उससे कभी नहीं मिली। यदि इस साक्षी के कथन को पुरुषोत्तम (अ.सा -1) के कथन के साथ पढ़ा जाए, तो यह और अधिक संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि पुरुषोत्तम (अ.सा-1) ने अपने कथन के अनुच्छेद 3 में कहा है कि घटना से लगभग 10 दिन पूर्व मृतका उसके घर आई थी और उसने पार्वती बाई (अ.सा-2) के समक्ष यह बताया था कि अभियुक्तगण उससे धनराशि एवं मोटरसाइकिल की मांग को लेकर क्रूरता करते थे। एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी राजाराम (अ.सा-3) है, जिसने अपने कथन के अनुच्छेद 2 में कहा है कि अस्पताल में मृतका ने उसके समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन दिया था, जिसमें उसने बताया था कि उसे अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा जलाया गया है। परंतु उसके केस डायरी कथन के अनुसार, जब वह रायपुर पहुँचा, तब उसे यह ज्ञात हुआ कि मृतका की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। जब इस साक्षी को उसके केस डायरी कथन (प्र.डी-3) से सामना कराया गया, तब उसने कहा कि उसने पुलिस को सभी सही तथ्य बताए थे, परंतु यदि वे अभिलेख में दर्ज नहीं किए गए, तो उसका कारण वह नहीं बता सकता। पवन कुमार (अ.सा -4), जो घटना के समय लगभग 10 वर्ष का बाल साक्षी था, एक प्रेरित साक्षी प्रतीत होता है, क्योंकि न्यायालय में उसने स्वयं को चक्षुदर्शी बताया और कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक-2 श्याम बाई ने मृतका पर मिट्टी का तेल डाला तथा उसे घटना स्थल से दूर जाने के लिए कहा गया। हालाँकि उसने अपने केस डायरी कथन (प्र.डी-4) में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही थी। मोंगरा बाई (अ.सा-5), जो मृतका की सौतेली माता है, यद्यपि उसने दहेज की मांग, जिसमें मोटरसाइकिल की मांग भी शामिल है, के संबंध में आरोप लगाए हैं, परंतु उसने यह स्वीकार किया है कि जब मृतका ने उसे अपने साथ हुई क्रूरता के संबंध में बताया था, तब न तो पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई और न ही समाज में कोई शिकायत की गई। उसके अनुसार मृतका ने उसे स्वयं क्रूरता के बारे में बताया था, जबकि उसके केस डायरी कथन (प्र.डी-5) के अनुसार मृतका ने क्रूरता एवं दहेज की मांग के संबंध में उसके पति (अ.सा-1) तथा सास (अ.सा-2) को बताया था। अतः इस साक्षी का कथन भी संदेहास्पद प्रतीत होता है। चमेली (अ.सा-7), जो मृतका की मित्र है, के अनुसार जब मृतका अपने मायके आई थी, तब उसने उसे बताया था कि

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता की जाती थी। इस साक्षी ने कहा है कि मृतका का विवाह अप्रैल माह में हुआ था तथा वह दिनांक 23.05.2007 को उसके गाँव आई थी। उसने अपने कथन के अनुच्छेद 4 में पुनः यह कहा है कि 23.05.2007 को ही मृतका उसके गाँव आई थी और उसने पुलिस को भी यह बताया था कि 23.05.2007 को मृतका अपने पति के साथ अपने मायके आई थी। किन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 23.05.2007 तक मृतका की मृत्यु हो चुकी थी, इस साक्षी का यह कथन कि मृतका 23.05.2007 को अपने मायके आई थी और उसने अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर की गई क्रूरता के बारे में बताया था, संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रणव सिंह (अ.सा-14), जो नायब तहसीलदार हैं और जिन्होंने प्रदर्श पी -1 के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा दी तथा प्रदर्श पी -2 के अनुसार मर्ग पंचनामा तैयार किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मर्ग पंचनामा के समय मृतका के किसी भी परिजन द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। वास्तव में यह साक्षी पुरुषोत्तम (अ.सा-1) के कथन की भी पुष्टि करता है, जिन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मर्ग पंचनामा के समय क्रूरता या दहेज की मांग के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई थी। अभियोजन पक्ष के इन सभी साक्षियों के कथनों से यह प्रतीत होता है कि अभियोजन का सम्पूर्ण प्रकरण संदेहास्पद हो जाता है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यद्यपि कुछ साक्षियों द्वारा दहेज की मांग के कारण क्रूरता किए जाने के संबंध में कुछ आरोप लगाए गए हैं, तथापि उनके समग्र साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष की साक्षीगण, जो कि मृतका के रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपने कथनों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। साक्ष्यों से यह भी परिलक्षित होता है कि मृतका एक शिक्षित महिला थी, जिसे ग्रामीण जीवन पसंद नहीं था और वह चाहती थी कि उसका पति रायपुर में रोजगार प्राप्त करे। साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि मृतका को अपने ससुराल में अनेक प्रकार की प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों का अनुभव होता था तथा वह अपने पति से अधिक शिक्षित थी। इसके अतिरिक्त मायके का जीवन-स्तर ससुराल की अपेक्षा बेहतर होने के कारण वह अधिक स्वतंत्र और खुले वातावरण में रहना पसंद करती थी, जो संभवतः उसे ससुराल में प्राप्त नहीं हो रहा था। इन परिस्थितियों में ससुराल में

समुचित समायोजन न हो पाने के कारण मृतका द्वारा आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। नवविवाहिता की मृत्यु के मामलों में प्रायः ऐसा देखा गया है कि लड़की के माता-पिता द्वारा दहेज एवं क्रूरता के आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इस बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए साक्षियों के कथनों का सूक्ष्मता से परीक्षण करना आवश्यक होता है ताकि सत्य और असत्य में भेद किया जा सके।

10. उपर्युक्त तथ्यात्मक विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है, और इस संदेह का लाभ अभियुक्त/अपीलार्थियों को दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर दिए गए निष्कर्ष गंभीर त्रुटि से युक्त हैं। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख एवं 498-क के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थियों की दोषसिद्धि विधिसम्मत नहीं है और इसे अपास्त किया जाना आवश्यक है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी वर्तमान में कारागार में निरुद्ध हैं। यदि वे किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हों तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

सही/-

(प्रीतिंकर दिवाकर)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smriti Shrivastava (Advocate)